



जॉइंट लाइफ पॉलिसी के तहत नॉमिनेशन का फॉर्म

(फॉर्म नंबर 3237)

हम _____ और _____ संयुक्त पॉलिसी

के तहत बीमित व्यक्ति एतद्वारा हमारे (संबंध)

_____ नाम _____ वय _____ वर्षों और

को नामित करते हैं जिसका पता है :

वह व्यक्ति, जिसे इस पॉलिसी के तहत सुरक्षित धनराशि का भुगतान उस स्थिति में किया जाएगा, जब किसी साझा आपदा में हमारी एक साथ मृत्यु हो जाए और यह साबित करना असंभव हो कि हममें से कौन दूसरे के बाद जीवित रहेगा।

दिनांकित पर _____, पर _____ दिन 20 _____ का _____ .

साक्ष्य के हस्ताक्षर :

1. _____

2. _____

(बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम : _____

प्रमाणित किया जाता है कि नामांकन की विषय-वस्तु मैंने बीमित व्यक्ति/व्यक्तियों को उनकी स्थानीय भाषा में समझा दी है, और उन्होंने मेरी उपस्थिति में, इसे भली-भांति समझने के बाद, इस पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान अंकित किए हैं। “

(Seal)

(साक्ष्य के हस्ताक्षर)

(निर्देश देखना)

निर्देश

- (1) नामांकन केवल उस पॉलिसी धारक द्वारा किया जा सकता है जिसने अपनी स्वयं की ज़िंदगी पर पॉलिसी ली हो, अर्थात्, केवल 'बीमित व्यक्ति' (**Lives Assured**) द्वारा
- (2) नामांकन फॉर्म में जहाँ भी ज़रूरी हो, खाली जगह भरने के बाद, बीमित व्यक्तियों को इसे पॉलिसी के पीछे उतार लेना चाहिए। साक्ष्य का प्रमाण-पत्र भी उतार लेना चाहिए, यदि किसी एक या दोनों बीमित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में नहीं हैं (नीचे 3 देखें)।
- (3) बीमित व्यक्तियों को किसी साक्ष्य की मौजूदगी में एंडोर्समेंट पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यदि बीमित व्यक्तियों में से कोई एक या दोनों अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, तो उन्हें अंग्रेज़ी जानने वाले किसी साक्ष्य के सामने एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर करने चाहिए; और यदि वे निरक्षर हैं, तो उन्हें किसी मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने एंडोर्समेंट पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। कोई अधिकारी या विकास अधिकारी (**Development Officer**) जिसके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो, या कोई स्थायी विकास अधिकारी (जो ऐसे एजेंटों में से भर्ती हुआ हो जो शामिल होने से पहले मंडल प्रबंधक या शाखा प्रबंधक क्लब के सदस्य थे), या ऐसे एजेंटों में से भर्ती हुआ विकास अधिकारी जो शामिल होने से पहले क्षेत्रीय क्लब या चैयरमैन क्लब के सदस्य थे—बशर्ते कि वह एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में, गवाह को एंडोर्समेंट में दिए गए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- (4) जैसे ही किसी एंडोर्समेंट के माध्यम से कोई नॉमिनेशन किया जाता है, पॉलिसी को तुरंत कॉर्पोरेशन के सर्विसिंग ऑफिस में नॉमिनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। कोई भी नॉमिनेशन तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसकी सूचना कॉर्पोरेशन को न दे दी जाए और वह कॉर्पोरेशन द्वारा रजिस्टर्ड न कर लिया जाए।
- (5) यदि नॉमिनी नाबालिग है, तो यह सलाह दी जाती है कि बीमा अधिनियम में बताए गए तरीके से एक 'नियुक्त व्यक्ति' (**Appointee**) को नियुक्त किया जाए। यह नियुक्त व्यक्ति, नॉमिनी के नाबालिग रहते हुए, यदि बीमित व्यक्तियों आदि की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी से मिलने वाली राशि प्राप्त करेगा। नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का फॉर्म, निर्देशों सहित, निगम (**Corporation**) से आवेदन करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(टिप्पणी : यदि इस शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा)